कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री मंगल सिंह वरिष्ठ अध्यापक रामावि कुमावत शिक्षा ट्रस्ट,निमाज जैतारण, पाली का पदस्थापन सत्र 2017–18 की डीपीसी से पदौन्नति फलस्वरूप राउमावि कांवलिया खुर्द, जैतारण,पाली में किया गया था। अपने पदस्थापन के विरूद्ध याची ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 5501/2020 मंगल सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2020 में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये ।

याचिकार्थी ने माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि हाजीवास ,रायपुर, पाली अथवा राउमावि लिलाम्बा, रायपुर ,पाली में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि याचिकार्थी ने किसी भी प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियों का अपने अभ्यावेदन में उल्लेख नहीं किया है तथा रिक्तियों के संबंध में उल्लेख है कि इनका निर्धारण विभागीय नियमानुसार एवं छात्रहित/राज्यहित को देखते हुए किया जाता है तथा याची का पदस्थापन काउसलिंग के माध्यम से स्वयं के सहमति पत्र के आधार पर किया गया है। याचिकार्थी अपने पदस्थापन स्थान पर दिनांक 31.07.2017 को कार्यग्रहण कर चुका है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती । अतः अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है। अतः याची का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांकः02/09/2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/याचिका–5501/2020 /11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
3. संबंधित कार्मिक......................।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर